आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT-I)
नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001.
NEW CUSTOM HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI–400001.
फोन- 02222757717, मेल- hindimumbaizone1@gmail.com

फाइल संख्या I/3843991/2026 दिनांक: 11-02-2026

(जनवरी से मार्च-2026 की तिमाही, 62वीं बैठक)

विषय:- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त
Subject: The minutes of the meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 20-01-2026 को शाम 04:00 बजे श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी, आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारीगण के नाम (श्री/श्री मती/सुश्री)	पदनाम	आयुक्तालय/विभाग
01	दीपिका कार्तिक तांगड़कर	अपर आयुक्त	आयात–I
02	अर्शदीप सिंह	संयुक्त आयुक्त	आयात–I/राजभाषा
03	कीर्तिकुमार एन. परमार	सहायक आयुक्त	आयात–I/राजभाषा
04	राधा अरविंदाक्षन	सहायक आयुक्त	आयात–I
05	श्रद्धा आनंद गुप्ता	अधीक्षक	आयात–I/राजभाषा
06	ऋषभ शुक्ला	परीक्षक	आयात-I/राजभाषा
07	अरुण कुमार	निवारक अधिकारी	आयात-I/राजभाषा
08	धर्म वीर चौहान	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	आयात-I, आयात-II व लेखापरीक्षा

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत सदस्य सचिव श्री कीर्तिकुमार एन. परमार, सहायक आयुक्त/राजभाषा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की। बैठक का मिनट दर मिनट वृत्तांत इस प्रकार है।

2-OLIC की पिछली बैठक (29.10.2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) पिछली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है।

2.1-हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए आदेश जारी करना

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक कार्यालय आदेश (GEN/HIN/9/48/2022-A/M, दिनांक 18.12.2025) जारी कर दिया गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

2.2-नए हिन्दी तिमाही रिपोर्ट प्रोफ़ार्मा का परिचालन व सभी को इसकी जानकारी प्रदान करना

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिन्दी तिमाही रिपोर्ट के नए प्रोफ़ार्मे को कार्यालय के सभी आनुभागों में परिचालित कर दिया गया है। हिन्दी कार्यशाला दिनांक 30.12.2025, के दौरान इस प्रोफ़ार्मे को सही

तरीके से भरने का प्रशिक्षण भी कार्मिकों को प्रदान किया जा चुका है।

(अनुपालन पूर्ण)

3-वर्तमान बैठक में लिए गए निर्णय

वर्तमान बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है।

3.1-हिन्दी टिप्पणी की समीक्षा

चूंकि कार्यालय की हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्य से कम पाई गई; अतः अध्यक्ष महोदय ने सभी को निर्देश दिए कि हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता बढ़ाई जाए। यह किसी भी हाल में 55% से कम नहीं होनी चाहिए। हिन्दी टिप्पणी बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए समय-समय पर आदेश भी जारी किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.2-राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्धारित दस्तावेजों का द्विभाषीकरण

यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के दस्तावेजों जैसे सामान्य आदेशों, अधिसूचना, करार, संकल्प, अनुज्ञप्ति, संविदा आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.3-राजभाषा रोस्टर तैयार करना

बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों के हिन्दी ज्ञान का स्तर पता करने के लिए रोस्टर तैयार किया जाए, जिससे ये पता चले कि किसको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञानप्राप्त है एवं किसको हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; ताकि हिन्दी में प्रवीणता स्तर का ज्ञान रखने वाले कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी किया जा सके।

(कार्यवाही: राजभाषा अनुभाग)

3.4-राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) का अनुपालन

समिति के संज्ञान में लाया गया कि आयुक्तालय (आयात-I), शासकीय राजपत्र में अधिसूचित हो चुका है। अतः अब नियम 8(4) के तहत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य शत-प्रतिशत हिन्दी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय ने आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही: राजभाषा अनुभाग)

3.5-अन्य बिन्दु/सुझाव

समिति के समक्ष हिन्दी कार्यक्रम के रूप में कार्यालय के बाहर अध्ययन दौरा करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने कार्यालय के संसाधनों को बिना प्रभावित किए हुए दौरा कार्यक्रम की मंजूरी दी है। इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए कार्यक्रम को कार्यालय परिसर में ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

अंत में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इसे आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Kirtikumar Parmar
Date: 11-02-2026
14:09:03

(कीर्तिकुमार एन. परमार)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I)/राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
2-आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
4-समस्त उप/सहायक आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5-मुख्य लेखाधिकारी (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6-समस्त अनुभाग (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
7-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
8-सहायक निदेशक/राजभाषा, DGPM, नई दिल्ली, को अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रेषित। (म.सं.-2)
9-ईडीआई अनुभाग, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।